

न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/99/2022

अपीलांट तुलसाराम पुत्र श्री बींजाराम
निवासी गांव डाबड तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी

आदेश

दिनांक : 12.09.2022

अपीलार्थी तुलसाराम पुत्र श्री बींजाराम निवासी गांव डाबड तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 12.08.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना-पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मय पोस्टल ऑर्डर संख्या 455642 दिनांक 14.06.2022 की प्रति संलग्न की गई है।


अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई।

हमने अपीलांट की अपील का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के अवलोकन से पाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना किसी संधारित अभिलेख से संबंधित होना प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा सूचना अधिकार प्रार्थना-पत्र एवं अपील मीमो के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं विवेचन उपरांत अपीलार्थी की यह अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलांट की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।



आदेश आज दिनांक 12.09.2022 को न्यायालय में सुनाया गया।


प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर

जिला कलक्टर

